संख्या-359/2026/I/1462590/2026/ 23-6099/15/2026

प्रेषक,

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 14 सितम्बर, 2026

विषय:- राज्य योजनान्तर्गत दीर्घ सेतु (ग्रामीण) के जनपद पीलीभीत में पीलीभीत मझोला मार्ग से माघोपुर चौक फरीदपुर अमखिड़िया डांग रिछा जहानाबाद मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0-5 में सेतु पहुंच मार्ग, किमी0-6 में बैलेसिंग आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट, कि0मी0-7 में क्षतिग्रस्त रपटा, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण का कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (सेतु विंग) उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-I/550127/2026, दिनांक 16.04.2026 एवं I/700935/2026, दिनांक 25.07.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासनादेश संख्या-198/2026/I/1285809/2026/23-6099/15/2026, दिनांक 31.03.2026 द्वारा उपर्युक्त विषयक कार्य हेतु धनराशि रू0 11554.04 लाख (रूपये एक अरब पन्द्रह करोड़ चौवन लाख चार हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अवमुक्त धनराशि रू0 2888.51 लाख (रूपये अट्ठाइस करोड़ अट्ठासी लाख इक्यावन हजार मात्र) के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग एवं सेतु निगम का अंश निर्धारित करते हुए कार्यदायी संस्था नामित किये जाने तथा आवंटित धनराशि को नियमानुसार संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त उपर्युक्त शासनादेश संख्या-198/2026/1/1285809/2026/23-6099/15/2026, दिनांक 31.03.2026 द्वारा स्वीकृत कुल लागत धनराशि रू0 11554.04 लाख में से सेतु निगम का अंश रू0 1145.54 लाख एवं लोक निर्माण विभाग का अंश रू0 10408.50 लाख निर्धारित करते हुए उक्त कार्य हेतु क्रमशः सेतु निगम एवं लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने तथा उक्त शासनादेश द्वारा अवमुक्त धनराशि रू० 2888.51 लाख को समानुपातिक रूप से सेतु निगम एवं लोक निर्माण विभाग को आवंटित किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 31.03.2026 को उक्त सीमा तक संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31.03.2026 के शेष प्राविधान यथावत रहेगें।

भवदीय,

(शेषनाथ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मण्डलायुक्त सम्बन्धित मण्डल/ जिलाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
3- मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सम्बन्धित क्षेत्र।
4- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
7- संबंधित कोषाधिकारी ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
10- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
11- बजट आवंटन अधिकारी/नोडल अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शेषनाथ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।